मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

मद कमांक 1

विभागाध्यक्ष कार्यालय में एक नग फोटोकॉपियर मशीन का कय करने हेतु रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

जिला पंजीयक बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, तथा जशपुर कार्यालयों के लिए नवीन वाहन कय करने हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूपये 16,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 3

पंजीयक सहकारी संस्थायें के जिला कार्यालयों कमश: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कवर्धा तथा सरगुजा के लिये 05 नग फोटोकॉपियर कय हेतु राशि रूपये 2.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूपये 2,50,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2435

मद कमांक 4

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1990 में प्रारंभ की गयी कृषक ऋण राहत योजना के अंतर्गत 07 जिला सहकारी बैंक तथा 06 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक को राशि रूपये 1773.52 लाख राशि दी जानी है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 17,73,52,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 5

लघु सीमान्त कृषकों को ऋण माफी योजना के अंतर्गत कृषि समिति द्वारा निर्धारित समय में आवेदन न देने एवं विलंब के कारण 673 कृषकों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 17,80,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 4425

मद कमांक 1

अंबिकापुर में नवीन शक्कर कारखाना हेतु राज्य शासन की अंशपूजीं के रूप में राशि रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

जिला सहकारी बैंक, अंबिकापुर को रिजर्व बैंक के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम बनाने के लिए राशि रूपये 23.00 करोड़ का राज्य शासन की अंशपूंजी के रूप में धनवेष्ठन किया जाना है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 23,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।